न्यायालय तहसीलदार जसवंततपुरा

मुकदमा नंबर 29 / 2016

राजस्थान सरकार जरिये पटवारी हल्का गजापुरा बनाम गैरसायल श्री पदमाराम,खुमाराम,पुत्र कलाराम, पुत्र जेताराम जाति मेघवाल निवासी गजापुरा

निर्णय दिनांकः–13.10.2016

पत्रावली पेश हुई। ,गैरसायल हाजिर। पत्रावली का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि पटवारी हल्का गजापुरा व निरीक्षक भू.अ. जसवंतपुरा ने रिपोर्ट पेश की कि गैरसायल ने संवत 2073 में मौजा बिकनवास के खसरा नंबर 80 रकबा 0.24 हेक्टर किस्म बा.प. में अनाधिकृतरूप से मकान मय कब्जा किया है। जिस पर गैरसायल को जरिये नोटिस तलब किया गया। गैरसायल नें अपने जबाव में कोई दस्तावेजी साक्ष्य या अन्य कोई सबूत पेश नही किये,जिससे यह साबित होता है कि कि गैरसायल द्वारा सरकारी भूमि पर अनाधिकृतरूप कब्जा कर अतिक्रमण किया है।

अतः राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91(1) के तहत संवत 2073 में मौजा बिकनवास के खसरा,नंबर 80 रकबा 0.24 हेक्टर किस्म बा.प्र.अतिक्मी घोषित किया जाकर व अतिक्मित रकबे से भौतिकरूप से बेदखली के आदेश दिये जाते है साथ ही भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91(3)के तहत अतिक्रमित रकबे का वार्षिक लगान 1.44 का 50 गुणा रू0 72/– अक्षरे बहत्तर रूपये मात्र बतौर जुर्माना आरोपित किया जाता है। निरीक्षक (भू.अ.) जसवंतपुरा पटवारी हल्का के अतिक्मियों भौतिकरूप से बेदखल करने एवं तहसील राजस्व लेखाकार को मांग कायमी हेतु जिखा जावें निर्णय सरे इजलास सुनाया गया।

तहसीलदार जसवन्तपुरा
तहसील जालोर (राज.)

तहसीलदार ,जसवंतपुरा